209/C

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28062024-254998
SG-DL-E-28062024-254998

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]	दिल्ली, बुधवार, जून 26, 2024/आषाढ 5, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 81
No. 163]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 2024/ASHADHA 5, 1946	[N. C. T. D. No. 81

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 जून, 2024

फा0 सं0 50(9)/डीसी/स्था0/2023/261.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3532 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 29.01.2001 की अधिसूचना संख्या फा0 53/143/94–स्वा0 एवं परि0 कल्या0/4076 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सूक्ष्मजीव विज्ञान) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सूक्ष्मजीव विज्ञान) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाएं

   (ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगें

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगें

3. **भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगें

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगां।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती हैं

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों को छूट दे सकती हैं

6. **बचावः**— इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगां

अनुसूची

औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सूक्ष्मजीव विज्ञान) के पद हेतु

भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	**वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सूक्ष्मजीव विज्ञान)**
2.	**पदों की संख्या**	:	02 (2024) 'इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भरं
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह—ख
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	6 अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (रुपये 35,400—1,12,400—)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर—चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नही (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष शिथिलनीयं) **6 (क) में महत्वपूर्ण विवरणः**— आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होंगी

7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता	:	**अनिवार्य** **योग्यताः** (क)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूक्ष्म जीव विज्ञान / फार्मेसी / वनस्पति विज्ञान / जैव रसायन विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से दवाओं के सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक परीक्षण के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव; अथवा (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूक्ष्म जीव विज्ञान / फार्मेसी / जैव रसायन विज्ञान / जैव प्रौद्योगिक / में स्नातक उपाधि अथवा रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान में से एक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक की उपाधि; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से दवाओं के सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक परीक्षण के क्षेत्र में तीन वर्श का अनुभव; **अनुभव** लागू नहीं **वांछनीय** **योग्यताः** लागू नहीं **अनुभव :** लागू नहीं **योग्यता मानक टीप** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध **अनुभव मानक टीप** यदि चयन की किसी अवस्था में एसएससी / सक्षम प्राधिकारी के

206|c

			करते हुए योग्यताएं एसएससी / सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं	अभिमत से अनुसूचित जाति / जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए एसएससी / सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगीं	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं	
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	02 अभ्युक्तिः सीधी भर्ती तथा पदोन्नति वालों उम्मीदवारों के लिए **टीप डीआर हेतुः** सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिाक्षण होगां	
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	**पद्धति**	**प्रतिषत**
			सीधी भर्ती द्वारा	50
			प्रतिनियुक्ति आईएसटीसी / पदोन्नति अर्थात् संयुक्त पद्धति	50
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	**पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :** केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश / स्वायत्त या वैधानिक संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / विश्वविद्यालयों / मान्यता–प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी : (क) (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) स्तर–5(रुपये 29,200–92,300 / –) के वेतनमान के पदों में 06 वर्षो की नियमित सेवा सहित अथवा समकक्षं अथवा (iii)स्तर–4(रुपये 25,500–81,100 / –) के वेतनमान के पदों में 10 वर्षो की नियमित सेवा सहित अथवा समकक्षं (ख) कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित शैक्षणिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वालें **टीप 1**:ग्रेड में 10 वर्षो की नियमित सेवा सहित स्तर–4(25,500–81100 / रू0) के वेतनमान में विभागीय प्रयोगशाला सहायक (सूक्ष्म जीव विज्ञान)तथा प्रतिनियुक्ति	

205/c

			आधार पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचारणीय होंगें यदि विभागीय पद पर नियुक्ति के लिये चयनित होते हैं तो उन्हें पदोन्नति द्वारा भरा समझा जायेगां **मानक टीप :** प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगीं प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगीं	
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	**विभागीय पदोन्नति समिति** लागू नहीं	**विभागीय स्थायीकरण समिति** 1. अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह)–**अध्यक्ष** 2. विभाग के प्रशासनिक सचिव –**सदस्य** 3. विशेष/अपर सचिव (शह0वि0) –**सदस्य**
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना हैं	:	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है	

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राज कुमार, उप सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPTT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th June, 2024

F. No. 50(9)/DC/Estt./2023/261.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 3532 dated 24.09.1968 and in supersession of the Notification No. F.53/143/94-H&FW/4076 dated 29.01.2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Scientific Assistant (Microbiology) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short title and commencement-**

   (i) These rules may be called the Drugs Control Department, Senior Scientific Assistant (Microbiology) Recruitment Rules, 2024

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, Classification and Pay Level in Pay Matrix-** The number of the said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

2041C

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.

4. Disqualification.-No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; **or**

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving- Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Senior Scientific Assistant (Microbiology) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/ Non-Selection Post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Scientific Assistant (Microbiology)	02 (2024) *subject to variation dependent on work load.	**General Central Service** Non Ministerial, Non-Gazetted Group, B	6 Remark : Level 6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **6(a) crucial description:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Competent Authority

Educational and other Qualification required for Direcst Recruits	Whether age & Educational Qualification prescribed for direct	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of vacancies to

203|C

		recruitment will apply the case of promotees		be filled by various methods	
7		8	9	10	
Essential		**Age:** NA **Edu. Qual:** NA	02 Remark : For Direct recruits and Promotees Note for DR: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Competent Authority	**Method**	**Percentage**
Qualification: (A)(i) Post Graduate Degree in Microbiology/ Pharmacy/ Botany/ Bio-Chemistry/ Bio-Technology from a Recognized University or institute; (ii) One Year Experience in the field of Microbiological testing of Drugs from a recognized Institution **OR** (B)(i) Bachelor Degree in Microbiology/ Pharmacy/ Bio-Chemistry/ Bio-Technology or Bachelor degree in Science with Chemistry or Botany or Zoology as one of the subjects from a recognized University or institute; (ii) Three years Experience in the field of Microbiological testing of Drugs from a recognized Institution	**Experience:** NA			Direct recruitment	50
Desirable				Deputation ISTC/ Promotion i.e. composite method	50
Qualification: NA	**Experience:** NA				
Qualification Standard Note	**Experience Standard Note**				
Qualifications are relaxable at the discretion of the S.S.C./Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified	The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the S.S.C./ Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled				

2021c

	Tribes if at any stage of selection the S.S.C./ Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them				

In case of Recruitment by Promotion/ deputation/ absorption grades from which Promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12		13
Promotion/ Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government/ State Government/ Union Territories/ Autonomous or Statutory Organisation/ PSUs/ universities/ Recognised Research Institutions: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; OR (ii) With 06 years regular service in posts in the scale of pay of level 5 (Rs.29200-92300) or equivalent; OR (iii) With 10 years regular service in posts in the scale of pay of Level 4 (Rs. 25500-81100) or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. **Note 1:** The departmental Laboratory Assistant (Microbiology) in the scale of pay of Level 4 (Rs. 25500-81100) with 10 years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis will be considered along with outsiders. In case departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Standard Note:**The period of deputationincluding the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment	**Departmental Promotion Committee** NA	**Departmental Confirmation Committee** 1. Addl Chief Secretary (Home)/ Pr. Secretary (Home) – (Chairman) 2. Administrative Secretary of the Department – (Member) 3. Special/ Addl Secretary (UD) – (Member)	Consultation with UPSC is not necessary

in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications			

By Order and in the Name of the Lt. Governor, Delhi

RAJ KUMAR, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.06.28 14:47:11 +05'30'